प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक पटेल पुत्र श्री स्वामीनाथ, निवासी जनपद-बलिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-21.07.2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक पटेल पुत्र श्री स्वामीनाथ, जो ग्राम-मल्लाहीचक सादीपुर, थाना-बांसडीह, जनपद-बलिया का निवासी है। पुलिस आकर गांव के शंकर मल्लाह को अपने साथ लेकर गांव में शातिर अपराधी व अन्य लोगों के घरों में दबिश दी। यह बात कुर्मी लोगो को पता चला तो कहा कि मल्लाह जाति के लोग पुलिस से मिलकर कार्यवाही कर रहे हैं। इसी कारण दिनांक 11-06-2006 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोली से मारकर 03 लोगों को घायल कर दिया जिसे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में 02 लागो की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-217/2008, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एक्ट कैडर, बलिया के दण्डादेश दिनांक 07.03.2013 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21-12-2015 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुये आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.05.2025 तक अपरिहार 13 वर्ष 04 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 07 माह 00 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट की आख्या प्राप्त की किया गया। पुलिस अधीक्षक, बलिया द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराधिक कृत्य से समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने, भविष्य में अपराध कारित करने की प्रबल सम्भावना होने बन्दी शारीरिक रूप से स्वास्थ्य होने के कारण जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा पुलिस अधीक्षक बलिया की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी अशोक पटेल पुत्र श्री स्वामीनाथ की दयायाधिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विधार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 28.05.2025 तक बन्दी की 54 वर्ष, 07 माह 10 दिन की आयु एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 28.05.2025 तक अपरिहार 13 वर्ष, 04 माह 11 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 07 माह, 00 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट,

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

बलिया द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक पटेल (बन्दी संख्या-298/2014) पुत्र श्री स्वामीनाथ, निवासी जनपद-बलिया की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-303/2026/1766(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
2- पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।